(2) Three Statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (a), (b) and (c) of item (1) above. [Placed in Library. See No. LT—6541/83].

## Notification under Central Excise Rules

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI PATTABHI RAMA RAO): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 135/83-CE (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 30th April, 1983 together with an Explanatory Memorandum regarding Central Excise Duty Rebate for excess production of sugar during May—September, 1983, issued under the Central Excise Rules, 1944. [Placed in Library. See No. LT—6542/83].

12.25 hrs.

## MATTERS UNDER RULE 377

(i) Legislation to ban indecent advertisements in newspapers etc.

SHRI KAMAL NATH (Chhindwara): Sir, I rise to mention under Rule 377 about the need of having either specific legislation of censorship of indecent advertisements appearing in the newspapers and magazines—both English and vernacular—all over the country. A large number of advertisements, especially of consumer products, are extremely vulgar and obscene showing scantily clad girls in all kinds of suggestive postures. There is obviously an advertisement need for consumer products, but it has nothing to do with art and cannot be classified as artistic.

These obscene advertisements do not confine to consumer products alone and recently there has been a growing tendency amongst Indian movie-makers to come out with obscene and vulgar

posters. The Film Censor Board checks the contents of the films, but approval of the name is not within its purview. Consequently, names of Indian movies are extremely suggestive and vulgar with the intention of enticing innocent minds.

Rule 377

Matters Under

Our Indian culture and ethos have been one of conservative ideas and ideals. Obscene advertisments names of movies go against the very grain of our Indian ethos, The Government should immediately bring in legislation banning vulgar and obscene advertisements in newspapers, magazines or hoardings. The Government should also ensure that the names given to Indian movies are neither suggestive nor provocative. A separate Board should also be set up for approval of all advertisements, which have girl models, necessitating prior approval to be taken before advertisement release.

The situation today has gone so bad calling for urgent steps by the Government to curb this tendency.

(ii) Demand for a low power T.V.

transmitter at Mathura

and early Construction

of relay Centre at

Agra

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस):
अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सूचना और प्रसारण मन्त्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मथुरा, वृन्दावन, अलीगढ़, हाथरस आदि निकटवर्ती क्षेत्र में हजारों लोगों ने टी॰ वी॰ सेट लगाए हुए हैं। वे लोग टी॰ वी॰ सिगनल बूस्टरों द्वारा दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी मौसम अच्छा होने पर शाम को देर से थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है परन्तु नियमित रूप से कोई कार्यक्रम वहां नहीं पहुँचता है। मथुरा करीब 140 किलो मीटर की दूरी पर है परन्तु

[श्री चन्द्र पाल शैलानी]

Rule 377

Matters Under

वहां दिल्ली दूरदर्शन का प्रोग्राम नहीं देखा जा सकता क्यों कि यहां की रेंज केवल 68 किलोमीटर है। फलतः इस इलाके के लोग एशियाड 82 और गृट निरपेक्ष सम्मेलन की कार्यवाहियों को दूरदर्शन पर देखने से वंचित रहे। इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस समारोह व गणतन्त्र दिवस परेड को भी दूरदर्शन द्वारा देखने से वंचित रहते हैं।

सरकार का इरादा आगरा में माइकोवेव द्वारा रिले केन्द्र स्थापित करने का है। अतः उसे शीघ्र ही बनाया जाए और दिल्ली में प्रीतमपुरा में जो आर० सी० सी० टावर बनाया जा रहा है, उसे भी जितना जल्दी हो पूरा कराया जाए।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जब तक आगरा में रिले केन्द्र बने या दिल्ली का नया टावर कार्य करे, मथुरा में एक लघु शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर तुरन्त लगाने की कृपा करें ताकि उस क्षेत्र के हजारों उत्सुक दर्शकों की निराशा दूर हो सके।

12.23 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

(iii) Financial assistance to people engaged in Shellac industry for its proper development

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, लाख उद्योग का हमारे देश में महत्व-पूर्ण स्थान है। खाद्य उत्पादन, आदिवासी कल्याण और विदेशी मुद्रा की आमदनी से इसका गहरा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। लाख उद्योग अधिकांशतः विछड़े इलाकों में केन्द्रित है। बिहार में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता हैं। भारत में उत्पन्न लाख का पचास प्रतिशत अ्केले छोटा नागपुर से मिलता है। लाख प्रायः बेर, पलास और कुसुम वृक्षों पर उप-लब्ध होती है। बिहार की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में लाख उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण रोजगार की तो इसमें असीमित संभावनायें हैं। लाख उद्योग का समूचित विकास करने पर पर्यावरण सन्तुलन, खाद्य उत्पादन, आदिवासियों की आय वृद्धि और विदेशी मुद्रा अर्जन में मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई लाख उत्पादन योजना से लगभग चालीस लाख आदिवासियों को लाभ मिलेगा। इस योजना से ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा। इस योजना से ग्रामवासिधों को लाख के वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन में सहायता मिलेगी। लाख का उप-योग दस्तकारी, छपाई की स्याही, औषघियां, श्रंगार प्रसाधन, बिजली के उपकरण, कागज, चुड़ियाँ, चक्मे के फ्रेम आदि विभिन्न चीजों के उत्पादन में किया जाता है। 1981-82 में हमने 490 लाख रुपए का लाख अमरीका को निर्यात किया। लाख का आयात करने वाले अन्य देश है पिश्चमी जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हाँगकांग मलेशिया। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करती हं कि वह वाणिज्यिक बैंकों को हिदायत दे कि लाख को उद्योग मानकर ऋण उपलब्ध कराया जाए । इसके अतिरिक्त रिसर्च, लाख तैयार करने की सस्ती विधि, निर्यात के लिए जहाज में कम भाड़े की दरें और बिचौलियों **के शोषण** से लाख उप्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। आज थाईलैंड से हमारा कड़ा मुकाबला है। वेन्द्र सरकार इस दिशा में एकीकृत नीति अपनाए तो इसका निर्यात 18,000 टन अर्थात् तीस करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है।

(iv) Construction of a bridge over the Ganga at Rajghat, Kannauj (U.P.)

भी छोटे सिह यादव (कन्नौज): उपाध्यक्ष